न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 10/2022(GCMS 2022/318)

1. **हरबंस सिंह** पुत्र श्री पाला सिंह जाति जटसिख निवासी बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **गुरदर्शन कौर** पत्नी तेजा सिंह पुत्री निहाल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **कम्पीटेन्ट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर** (भारतमाला परियोजना) पैकेज–6 पार्ट 1, (37 बीबी से 4 एफएफ बी परियोजना)
2. **स्टेट ऑफ राजस्थान** – जरिये जिलाधीश, श्रीगंगानगर
3. **परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** परियोजना कार्यन्वयन ईकाई हनुमानगढ़ जं.
4. **भारत संघ जरिये (Morth) (Ministry of Road Transport Highway)** New Delhi

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.06.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री तेजा सिंह का कथन है कि प्रार्थी के नाम से 44 एफ के मुरब्बा 48 में 25 बीघा खातेदारी है जिसमें से भारतमाला परियोजना में आवाप्त की गयी भूमि में प्रार्थीगण की क्रम संख्या 295 किला नम्बर में 0.1730 है. क्र.सं. 296 किला नम्बर 10 में 0.0753है. क्र.स 297 किला नम्बर 2 में 01713 है. क्र.स. 298 किला नम्बर 3 में 0.024 है. क्र.सं. 299 कि.नं. 9 में 0. 0013 कुल 0.4449 है. मुश्तर्का खाते की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण द्वारा, भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत भूमि आवाप्त की गयी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राज मार्ग एन एच 62 भारत माला परियोजना पैकेज–6 पार्ट 1 के अन्तर्गत (एन एच 62) साधुवाली जैड माईनर श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के लिए चक 44 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 48 में 0.4449 है. भूमि आवाप्त किये जाने की कार्यवाही की थी जिसमें प्रार्थीगण द्वारा एतराज भी पेश किये गये थे जिसकी सूचना अधिसूचना 08.04.2018 को जारी की गयी थी उसके अन्तर्गत बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना व्यक्तिगत नोटिस दिये अवार्ड पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतमाला योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग में चक 44 एफ, 46 एफ 12 ओ. 5 ओ, 6 ओ (ए) व 9 डब्ल्यु तक भूमि अधिग्रहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर को भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करदिनांक 12.01.2018 को अथोराईज्ड किया है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही साधुवाली, श्रीकरणपुर, गजसिंहपु, रायसिंहनगर (एन एच 62), श्रीगंगानगर मार्ग से साधुवाली तक के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है जिसमें दिनांक 02.04.2018 को अधिसूचना सं. 1450 (अ) जो स्थानीय समाचार पत्रों में 08.04.2018 को प्रकाशित करवाकर एकपक्षीय अवार्ड पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि चक 44 एफ मुरब्बा नम्बर 48 में 0.4449 है. मुश्तर्का खाता में दर्ज है। जो क्र.सं. 295 से 299 भूमि आवाप्त की गयी है जिसमें डी.एल.सी रेट का (1.25) गुणक के आधार पर मुआवजा दिया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग रायसिंहनगर से साधुवाली तक भारतमाला परियोजना पैकेज 6 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 एफ से साधुवाली तक भारतमाला के अन्तर्गत बाईपास बनाकर उससे श्रीगंगानगर से अबोहर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडा जा रहा है जिसके अन्तर्गत भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की गयी है जिसमें 0[illegible]4.2018 की अधिसूचना जारी की गयी उसके बाद प्रार्थीगण को बिना उचित समय दिये अवार्ड पारित कर दिया है, जो विधि के विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण का चक 44 एफ की भूमि मुरब्बा नम्बर 48 में पड़ती है जो गजसिंहपुर से करणपुर रोड़ बाईपास निकाला है, उससे आगे भारत गैस एजेन्सी, कॉटन फैक्ट्री व इसके पास प्राईवेट विधालय बने हुए हैं। इससे आगे पदमपुर रोड़ क्रॉस करती हुई नई धानमण्डी के पास से होती हुई बी.एस.एफ. छावनी की नजदीक ईन्ट भट्टे व कॉटन फैक्ट्री के पास से निकली हुई करणपुर—गंगानगर रोड़ 6 ओ में जाकर मिलती है, जहां इसके आस—पास भट्टे, कॉटन फैक्ट्री अभी भी है। जिसकी कीमत बाजार भाव 1,00,00,000 रूपये प्रतिबीघा है। जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थीगण को अत्यधिक कम मुआवजा राशि दी गई है, जो विधि विरूद्ध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण की जमीन किला नम्बर 1, 10, 2, 3, 9 किलों में मुरब्बे के बीच में से कुतरी सड़क निकाली गयी है जिससे किला नम्बर 1, 10, 2, 3, 9 का लगभग 40—40 फुट हिस्सा अलग हो गया और दूसरी तरफ किला नम्बर 2, 1 व 10 का बाकी हिस्सा ले लिया गया। शेष भूमि बेकार हो गयी। जमीन दो हिस्सों में बंट चुकी है जो भूमि बीच में से बीघों को काटकर निकाली गयी है उसमें अतिरिक्त राशि मुआवजे की दिये जाने का प्रावधान है, जो भूमि प्रार्थीगण की खराब हो गयी लेकिन उसमें अतिरिक्त पैसा कोई प्रार्थीगण को नहीं दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 48 की बारी ईकट्ठी थी अब बीच में रोड़ निकलने से दो भागों में हो गया। रोड़ के नीचे से पानी भी नहीं जा सकेगा और वह भूमि बंजर हो गयी। उसका मुआवजा भी प्रार्थीगण को दिया जाना चाहिये जो लगभग 4 बीघों के आसपास है। लेकिन अदालत ने 26.05.2021 को 1,98,74[illegible]ये प्रतिबीघा डी.एल.सी. रेट मानकर दी है, जबकि रिफलेक[illegible] के अनुसार मार्केट वैल्यु के हिसाब समतुल्य राशि देने का प्रावधान [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि श्रीकरणपुर से बिल्कुल चिपती है, जो नगर पालिका सीमा के अन्दर व पैराफेरी एरिया में आती है जिसका मुआवजा **पैराफेरी एरिया के हिसाब** से मिलना चाहिये था साथ में चारों तरफ फैक्ट्रीयां लगी है, जिससे **औधोगिक व वाणिज्यक क्षेत्र** मानकर भी मिलना चाहिये था लेकिन अधिनस्थ अदालत ने उसको सामान्य कृषि भूमि मानकर मुआवजा दिया है, जो गलत दिया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 21(2) का नोटिस नहीं दिया केवल अखबार में कॉपी प्रकाशित की है, जबकि उक्त एक्ट में व्यक्तिगत बाई पोस्ट सूचना दिये जाने का प्रावधान है लेकिन अधिनस्थ अदालत ने बिना **विधिक प्रक्रिया अपनाए** दिनांक 26.05.2021 के अवार्ड की सूचना अखबार में दिनांक 31.08.2021 को दी है, जो विधि के विरूद्ध अवार्ड निरस्ती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त अवार्ड अपूर्ण अवार्ड जारी किया है। प्रार्थीगण की भूमि में ट्यूबवैल लगा था और ट्यूबवैल के लिए एक कमरा था. पांच टालिया थी, चार कीकर के पेड़ थे और यह लिख दिया गया कि इसका अलग से बाद में अवार्ड जारी कर दिया जावेगा, जबकि अवार्ड एक साथ जारी किया जाता है, जो विधि के विरूद्ध काबिले निरस्ती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की भूमि श्रीकरणपुर मण्डी से चिपती हुई है, जिसकी कीमत 1,98,742/— रूपये प्रतिबीघा मानी है जबकि प्रार्थीगण की भूमि चक 44 एफ शहर के नजदीक है जिसके चारों तरफ कॉलोनियां बनी हुई। श्रीकरणपुर नगर पालिका के तीन वार्ड हैं जो इस जमीन के बिल्कुल चिपते हुए हैं और गांव मौड़ा भी साथ चिपता हुआ है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जो कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी वह एकपक्षीय बिना प्रार्थीगण को सूचित किये दी गयी है जो विधि के विरूद्ध है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के अवार्ड को निरस्त कर 1,00,00,000/— रु प्रतिबीघा के हिसाब से मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि भारतमाला परियोजना (पैकेज–6) के अन्तर्गत साधुवाली–जैडमाइनर– श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर–रायसिंहपुर को चौडा करने के साथ चार लेन का बनाने हेतु अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अन्तर्गत धारा 3ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत ग्राम (1) 1 FA (2) 12 "O" (3) 44 F (4) 46 F (5) 5"O" (6) 6"0"-A (7) 6"0"-B (8) 9W ग्रामों की खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड–II के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है एवं धारा 3ए की अभिसूचना का प्रकाशन 2 समाचार पत्रों दिनांक 11.04.2018 को राजस्थान पत्रिका एवं सीमा सन्देश में विधिवत प्रकाशित किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई। उक्त अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद निर्धारित समय अवधि 21 दिवस के भीतर आपत्तियां काश्तकार/ हितबद्ध खातेदार से प्राप्त हुए थे उनका सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर आक्षेपो को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा उसी की उपधारा–III के अन्तर्गत निस्तारण कर दिया गया। तदुपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उपधारा (3) क्रमांक 4739 (अ) दिनांक 07.09.2018 अधिसूचना जारी की है जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में उक्त अधिसूचना 3 डी का प्रकाशन भी दो समाचार पत्रों में दिनांक 29.09.2018 को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर प्रकाशित करवाया गया तथा अवाप्तधीन भूमि के हितधारको की आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमन्त्रित की गई। ... सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त हुये उनका विधि के प्रावधानो के अनुसार निस्तारण ... पश्चात् सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुसार अवार्ड पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड–II के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है, एवं धारा 3ए की अभिसूचना का प्रकाशन 2 समाचार पत्रों दिनांक 11.04.2018 को राजस्थान पत्रिका एवं सीमा सन्देश में विधिवत प्रकाशित किया जाकर आपत्तिया आमंत्रित की गई। उक्त अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद निर्धारित समय अवधि 21 दिवस के भीतर आक्षेप आपत्तियां काश्तकार से प्राप्त हुए थे उनका सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर आक्षेपों को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3सी की उपधारा–III के अन्तर्गत निस्तारण कर दिया गया। उसके पश्चात केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उपधारा (3) क्रमांक 4291 (अ) दिनांक 31.08.2018 अधिसूचना जारी की है जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में उक्त अधिसूचना 3 डी का प्रकाशन भी दो समाचार पत्रों में दिनांक 21.09.2018 को सीमा सन्देश एवं दैनिक भास्कर प्रकाशित करवाया गया तथा अवाप्तधीन भूमि के हितधारको की आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमन्त्रित की गई। इसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त हुये उनका विधि के प्रावधानो के अनुसार निस्तारण कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार शहरी क्षेत्र के अंतिम बिन्दू से ग्राम की दूरी (रेडियल दूरी) के अनुसार ... का निर्धारण किया गया है। प्राथी की अवाप्त भूमि का ग्राम जो शहरी क्षेत्र के अंतिम बिन्दू से 0 से 10 कि.मी. के दायरे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

स्थित होने से लागू 1.25 के फैक्टर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी 1.25 के फैक्टर के आधार पर निर्धारित मुआवजा राशि को विधि विरूद्ध होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अवाप्त भूमि की किस्म के अनुसार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए अवार्ड पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्रवार की डी.एल.सी. दर अलग–अलग होती है। उक्त डी.एल.सी. दर विशेष कमेटी (विशेषज्ञो) द्वारा उक्त क्षेत्र की मौलिक, भौतिक आदि स्थितियों का सर्वे कर तय की जाती है। डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, उसकी भौगोलिक स्थिति, बाजार भाव, शहर व सडक से दूरी इत्यादि का मूल्यांकन राजस्थान स्टॉम्प नियम 2004 के नियम 58 के अनुसरण में किया जाता है। डी.एल.सी. दर व बाजार मूल्य में किसी प्रकार की भिन्नता हो एवं भारत सरकार के परिपत्र संख्या 8360/सी सी/5166/दिनांक 08.08.2016 के अनुसार RFCTLARR Act 2013 की धारा 26(2) के अनुसार गुणक 2 या राज्य सरकार के द्वारा घोषित गुणक में से न्यूनतम होगा। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–1(3) राज0–6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार शहरी क्षेत्र की दूरी 0 से 10 किमी. पर स्थित ग्रामों के लिए गुणक 1.25 दर्शाया गया है एवं 10 से 20 किमी. पर स्थित ग्रामों के लिए गुणक 1.50 व 20 से 30 किमी. गुण दूरी 1.75 तथा 30 से अधिक का गुणक 2.00 किया गया है। उक्त सूचना पकाई हनुमानगढ को उक्त भूमि संबंधित प्रस्तुत की गई, उसमें संबंधित नम्बरान सम्मिलित है। उक्त प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है वह विधि के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है, जो कि सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग बिना भूमि का रूपांतकरण कराये किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो कि पूर्णत सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज निजी कृषि भूमि थी उसी के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। यदि अवाप्तशुदा भूमि को बिना विधिवत रूपांतरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लाया जा रहा है तो इसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

मैनें, पत्रावली, उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर में भारतमाला परियोजना पैकेज–6 (पार्ट–1) के श्रीगंगानगर (एनएच–62) साधुवाली–जैड माईनर श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर –रायसिंहनगर के दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने व लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3A. Power to acquire land, etc, -

(4) Where the central Government is satisfied that for a public purpose any land in required for the building, maintenance, management or operation of a national highway of part thereof it may, by notification in the official gazette, declare its intention to acquire such land.

(5) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(6) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 2 बिन्दु संख्या 1 व 2 में निम्नानुसार अंकित किया है :

1. लोक सूचना के लिए उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को इस आशय से प्रकाशित करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध खातेदार, काश्तकार/पक्षकारान अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में यदि उनका कोई दावा/आक्षेप हो तो, वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में प्रभावित खातेदारों की ओर से कुल प्राप्त 9 आपत्तियों को रिकार्ड पर लिया गया तथा प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के तहत भूमि अवाप्ति की अधिसूचना संख्या का.आ. 4291(अ) का दिनांक 31.08.2018 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग द्वितीय खण्ड तीन उपखण्ड (ii) में प्रकाशन किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3C Hearing of Objections

1. **Any Person interested in the land may, within tweny-one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of the land for the purpose or purpose mentioned in that sub-section**
2. Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legel practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessay, by order, either allow or disallow the objections.

   Explanation : for the purpose of this sub- section "legal practitioner has the same meaning as in clause (i) of sub-section(1) of Section 2 of the Advocate Act 1961 (25 of 1961)
3. Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final."

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत जो भी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवार्ड दिनांक 26.05.2021 जारी होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा आपत्तिया पेश की गई है, जबकि प्रार्थी को अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 (अ) का दिनांक 02.04.2018 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका हिन्दी प्रारूप में दिनांक 11.04.2018 को प्रकाशित करवाया गया। अधिसूचना प्रकाशन के 21 दिनों में, काश्तकारों को अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में अपना आक्षेप हो तो वे उसे निर्धारित समयावधि 21 दिनों में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। प्रार्थी का यह कथन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना व्यक्तिगत नोटिय दिये अवार्ड पारित किया गया है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 5 बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है :

> 3. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के क्रम संख्या 1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु धारा 26(1)(क) के अन्तर्गत उप पंजीयक से डीएलसी अनुमोदित दरें प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। उक्त पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में अंकित शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को कारक (Factor) से गुणित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है। जिसमें समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार कारक (Factor) से गुणित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3(ड)(i) अनुसार किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से तात्पर्य इस परियोजना में राजस्थान सरकार से है। इसलिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प–1(3)राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अन्तिम बिन्दु से Radial दूरी के अनुसार किया गया है। अवार्ड निर्धारण में आने वाले ग्राम (1) 1FA (2) 12 O (3) 46 F में कारक (Factor) 1.25(0 से 10 कि.मी.) एवं ग्राम (4) 44 F (5) 5 O (6) 6O-A (7) 6O-B (8) 9W में कारक (Factor) 1.50 (10 से 20 कि.मी.) में आने के कारण लागू होगा।

4. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अनुसार बाजार मूल्य के समतुल्य तोषण की राशि निर्धारित की जा रही है।

सक्षम प्राधिकारी के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है और प्रार्थी को डी.एल.सी. दरों के अनुरूप ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ.7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 में दिये गये निर्देशानुसार, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है।** इसलिए प्रार्थी का यह कथन की प्रार्थी की जमीन के आगे भारत गैस एजेन्सी, कॉटन फैक्ट्री व इसके आसपास प्राईवेट विद्यालय बने हुए है, इसके आस–पास भट्टे, कॉटन फैक्ट्री बने हुए है, जिसके कीमत बाजार भाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

1.00 करोड़ रूपये प्रतिबीघा है। जबकि प्रार्थी की भूमि अधिसूचना दिनांक को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित किया जावे, जो सही है। **अतः प्रार्थी को उसकी भूमि का मुआवजा 1.00/— करोड रूपये प्रति बीघा निर्धारित कर दिये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।**

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा जारी अधिसूचना निम्नानुसार अवलोकनीय हैः

अधिसूचना

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप—धारा (2) सपठित प्रथम अनुसूचि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज—6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारित हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्ना अनुसार होगा :

शहरी क्षेत्र से दूरी	**गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे**
0—10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

स्पष्टीकरण — जयपुर, जोधपुर, अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण उक्त अधिसूचना में दिये गये कारक(Factor) के अनुसार ही दिया जाना है जबकि प्रार्थी ने अपनी बहस में पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग से राशि दिये जाने की मांग की है, जो सही नहीं है, क्योंकि प्रार्थी को उक्त कारक(Factor) के अनुसार की राशि निर्धारित कर भुगतान किया गया है। **इसलिए प्रार्थी का पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग राशि दिये जाने बिन्दु खारिज किया जाता है, साथ ही प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि किस्म यथा औद्योगिक/वाणिज्य/कृषि के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।**

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना निर्धारित डीएलसी दर (बाज़ार मूल्य) के आधार पर की गई है तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निर्धारित कारक(Factor) से गुणक राशि एवं उक्त दोनों राशि के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण (Solatium) राशि (धारा 30 के अधीन) एवं धारा 30(3) के तहत बाजार मूल्य(डीएलसी) पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(अवार्ड दिनांक तक) की गणना कर दी गई मुआवजा राशि सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्य समस्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कम्पीटेंट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.06.2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर